

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या-1फ/विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0/पुनर्योजन विस्तार/2024/

लखनऊ: दिनांक 23.07.2024

विशेषज्ञ / एम0बी0बी0एस0 विस्तार

—:: आदेश ::—

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारियों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पॉच-14-7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या-1961/सेक-2-पॉच-14-7(255)/13, दिनांक 18.06.2014, संख्या-965/सेक-2-पॉच-16-7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016, शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 को एक वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवा विस्तार किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों के लिए पूर्व सेवा नियोजन/विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतद् द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।

पुनर्योजित चिकित्सकों के सेवा विस्तार हेतु उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा परफार्मेंस रिपोर्ट के आधार पर सेवा विस्तार की संस्तुति की गयी है। नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें, कि सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी वर्तमान में नियमित रूप से चिकित्सालय में उपस्थित होकर शासकीय कार्य समय एवं लगन के साथ सम्पादित कर रहा है। किसी भी प्रकार का विचलन पाये जाने पर पूर्ण उत्तर दायित्व नियंत्रक अधिकारी का होगा भ्रम की स्थिति में महानिदेशालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जा सकते हैं।

- (1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।
- (2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (3) पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो पुनर्योजित कार्मिक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आये। पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन+शुद्ध पेंशन के योग पर महगाई भत्ता अनुमन्य होगा, किन्तु पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से महगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।
- (4) पुनर्योजित विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भाँति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।
- (5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16-ए में प्राविधानित है।
- (6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।
- (7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार/एम0बी0बी0एस0 पुनर्योजित चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भाँति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।
- (8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत तउपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

22.7.24

- (9) सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0वी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।
- (10) सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
- (11) यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।
- (12) पुनर्योजित विशेषज्ञ/एम0वी0आई0एस0 परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि 15 दिन में सेवा में योगदान नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (13) पुनर्योजित परामर्शी चिकित्सक से प्रशासकीय कार्य को छोड़ कर अन्य समस्त चिकित्सकीय कार्य नियमित चिकित्सक के बराबर लिया जा सकेगा।

विशेषज्ञ

S. No.	Name	Seniority Number	DOB	Date of Retirement	Specialist	Place of Posting	Extension date as on
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dr. PRAMOD KUMAR VERMA	10016	15/03/1961	31/03/2023	PAEDIATRICIAN	100 Bed Hospital Sadhamau Lucknow	25/06/2024
2.	Dr. BHARAT KUMAR SINGH	7918	25/05/1961	31/05/2023	SURGEON	Moti Lal Nahru Divisional Hospital prayagraj	22/06/2024
3.	Dr. DHIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA	9679	5/1/1961	31/01/2023	RADIOLOGIST	KPM Hospital Kanpur Nagar	16/03/2024
4.	Dr. MALA SHARMA	7622	9/5/1961	31/05/2023	GYNAECOLOGIST	District Woman Hospital Ghaziabad	14/07/2024
5.	Dr. RAGINI RANI GUPTA	6349	4/9/1960	30/09/2022	ANAESTHETIST	Dr. S.P.M. (Civil) Hospital Lucknow	17/08/2024
6.	Dr. RAJENDRA PRASAD SINGH	8089	1/7/1961	30/06/2023	PLASTIC SURGEON	Dr. S.P.M. (Civil) Hospital Lucknow	16/08/2024
7.	Dr. HARISH CHANRDA	9003	2/5/1960	31/05/2022	OPHTHALMOLOGIST	District Hospital Jhansi	26/07/2024
8.	Dr. ANAND SHUKLA	8142	20/06/1961	30/06/2023	OPHTHALMOLOGIST	MD Eye Hospital Prayagraj	20/07/2024
9.	Dr. SANSER PAL SINGH SINDHU	9674	5/7/1960	31/07/2022	ENT SURGEON	District Combined Hospital Gautam Budhnagar	18/08/2024
10.	Dr. SATYA NARAYAN HARISH CHANDRA	10014	5/12/1960	31/12/2022	OPHTHALMOLOGIST	Moti Lal Nehru Divisional Hospital Prayagraj	18/08/2024
11.	Dr. KIRAN KALA	8971	23/04/1961	30/04/2023	GYNAECOLOGIST	District Woman Hospital Prayagraj	18/08/2024
12.	Dr. ARLENE HEALY	7673	21/05/1961	31/05/2023	GYNAECOLOGIST	Jhalkari Bai Woman Hospital Lucknow	17/08/2024
13.	Dr. KARUNA GAUR	9234	5/1/1961	31/01/2023	SURGEON	Under CMO Jhansi CHC MAU RANI PUR	30/06/2024
14.	Dr. DHANESH KUMAR GARG	8633	10/7/1961	31/07/2023	TB CHEST DISEASE	District Hospital Jhansi	16/08/2024
15.	Dr. ALOK PANDEY	7873	21/06/1960	30/06/2022	TB CHEST DISEASE	100 Bed Combined Hospital Gorakhpur	18/8/2024
16.	Dr. RAJESH KUAMR AGARWAL	8197	27/07/1961	31/07/2023	SURGEON	UHM Hospital Kanpurnagar	17/8/2024

22.7.24

17.	Dr. BRAHMA PRAKASH SINGH	10740	2/10/1959	31/10/2021	OPHTHALMOLOGIST	District Hospital Ballia	28/04/2024
-----	--------------------------------	-------	-----------	------------	-----------------	--------------------------	------------

एम0बी0बी0एस0

S. N.	Name	Seniority Number	Date Of Birth	Date of Retirement	Date of Extension	Comments
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. PRAHLAD SINGH	10374	1/7/1961	30/06/2023	24/07/2024	Under CMO Sitapur
2	Dr. FAKHREYAR HUSSAIN	9478	5/7/1961	31/07/2023	16/08/2024	Under CMO Basti

For Selected Candidate:-

- It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- The time for joining will be 15 days within date of appointment.

(डा0 वृजेश राठौर)
महानिदेशक

संख्या-1फ/विशेषज्ञ/पुनर्योजन विस्तार/2024/ 967 (11) तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ।
- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगतनरायन रोड, उ0प्र0, लखनऊ।
- सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उ0प्र0।
- सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- चिकित्सा अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश, शासन।
- संबंधित चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर अपर निदेशक(प्रशासन)को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
- गार्डफाइल।

22.7.24
अपर निदेशक (प्रशासन)